13/12/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा के न्यायालय मे उपस्थित हो पत्रावली में जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर No-objection किया वकील प्रार्थी ने आज ही बहस का निवेदन किया। उभय पक्ष द्वारा बहस की गई। उभय पक्ष की बहस को सुना गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन कर गहनता से मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान की गई दलीलो से हम संतुष्ट हैं। प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा-128 का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा-128 का स्वीकारयोग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर प्रा० प[illegible] से निकाला जाकर खुले [illegible] का इजलास में सुना[illegible] केस शुमार होकर दर्ज रजिस्टर मे कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:38:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)